

मुफ्त भूकंप सुरक्षा परामर्श केन्द्र

FREE EARTHQUAKE SAFETY CLINIC

देश में
पहली बार
नई पहल

आपदामुक्त बिहार की ओर
बढ़ते कदम



बिहारवासियों में भूकंपरोधी निर्माण के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु अभियान



बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण


द्वितीय तल, पन्त भवन, बेली रोड, पटना
website-www.bsdma.org

Phone: 0612-2522032, 2522284, Fax: 0612-2532311



बिहार भूकम्पीय जोन मानचित्र

(showing faults, thrusts and
earthquakes of magnitude ≥ 5)



बिहार में संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से भूकम्प जोन के अन्तर्गत आने वाले जिले

साइस्मिक जोन V (सर्वाधिक क्षति जोखिम क्षेत्र)

सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा।

साइस्मिक जोन IV (अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र)

पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई बांका एवं खगड़िया।

साइस्मिक जोन III (मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र)

बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल एवं गया।

पृष्ठभूमि

बिहार राज्य के अधिकतर जिले सिस्मिक जोन IV एवं V के अन्तर्गत आते हैं।

- बिहार राज्य के अधिकांश इलाके भीषण तीव्रतावाले एवं क्षति पैदा करनेवाले भूकम्पीय क्षेत्र हैं। जिसमें पटना के जोन IV में होने के कारण तथा सात या उससे अधिक तीव्रता के भूकम्प की स्थिति में सरकारी एवं निजी इमारतों के बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त होने की संभावना है।
- पिछले भूकम्प के इतिहास के बाद इमारतों एवं अन्य संरचनाओं को हुए नुकसान के अध्ययन से बड़े पैमाने पर हुई क्षति के पीछे मकानों का भूकम्परोधी तरीकों से न बना होना, इमारतों को लेकर नियम कानून की अनदेखी ओर कमजोर इमारतों को बनाया जाना है।
- बिहारवासियों में भूकम्परोधी मकान के निर्माण को लेकर जागरूकता पैदा करने एवं भविष्य में इन आपदाओं से सुरक्षित घरों के निर्माण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण “मुफ्त भूकम्प सुरक्षा परामर्श केन्द्र” के साथ आपके समक्ष उपस्थित है।

उद्देश्य :—

- लोगों को अपना घर बनाने के समय भूकम्प से सुरक्षित निर्माण के लिए जागरूक करना।
- लोगों को भवनों के भूकम्परोधी डिजाइन के संबंध में मुफ्त जानकारी देना, साथ-ही-साथ बने हुए घरों की मरम्मती एवं रेट्रोफिटिंग से संबंधित जानकारी प्रदान करना।

हमेशा याद रखें:-

- ◎ आश्वस्त हो ले कि भवन बनाने के समय निर्धारित डिजाइन और तकनीकी अनुदेशों का पालन हो।
- ◎ भवनों के निर्माण के समय मजबूती का मूल्यांकन कर लें। अगर जरूरी हो तो रेट्रोफिट कर लें।



(प्रबलिट ईंट चिनाई)

सुनिश्चित करो कि मकान का निर्माण करते समय सही संरचना और निर्माण पद्धति अपनायी जाए




(मुहानों से फैलाती हुई दरारें)

इमारतों की संरचनात्मक मजबूती का मूल्यांकन करो, यदि आवश्यक हो तो सुदृढ़ीकरण/रेट्रोफिटिंग करो

याद रखने के लिए तीन बातें

1. अपने मकान का निर्माण करते समय सुनिश्चित करें कि यह आपकी संरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यदि आप किसी मकान/फ्लैट में रह रहे हैं तो उसकी सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कार्य कीजिए।
2. यदि आप किसी मकान/फ्लैट में रह रहे हैं तो उसकी सुरक्षा का उपाय करना चाहिए।
3. यदि आप रहने के लिए स्थान खोज रहे हैं तो सुरक्षित स्थान खोजिए।



Add beams and columns to reinforce and stabilize the walls of a room so that they will be more resistant to earthquake

नई परिपाटी :-

- देश भर में पहली बार बिहार सरकार मुफ्त भूकम्प सुरक्षा परामर्श केन्द्र शुरू करने जा रही है। जहाँ लोगों को नये घर/पुराने घरों को मरम्मत कर भूकम्परोधी बनाने के संबंध में मुफ्त जानकारी दी जा रही है। इस प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण राज्य के तकनीकी संस्थानों यथा NIT Patna/BIT Mesra, Patna को शामिल करना है।
- यह परामर्श केन्द्र पटना के गाँधी मैदान में बिहार दिवस समारोह, 2012 के अवसर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पैवेलियन में स्थापित किया गया है। आगे चलकर इसे पूर्णकालिक परामर्श केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना है।

परामर्श केन्द्र में प्रदान की जाने वाली सेवायें :-

- नये भूकम्परोधी भवनों के निर्माण और पुराने भवनों को भूकम्परोधी बनाने हेतु तकनीकी समूह द्वारा परामर्श।
- भूकम्प सुरक्षा हेतु गैर संरचनात्मक एवं संरचनात्मक उपाय के संबंध में जानकारी प्रदान करना।
- सुरक्षित भवन निर्माण डिजाइन का प्रदर्शन (ग्रामीण इलाकों के लिए बास निर्मित एवं शहरी इलाकों के लिए ईंट निर्मित)
- शेक टेबल, विडियो फ़िल्म आदि के द्वारा भवनों एवं आधारभूत संरचनाओं पर भूकम्प के प्रभावों का प्रदर्शन।

परामर्श केन्द्र के संभावित परिणाम :-

- जन साधारण लोगों में भूकम्परोधी निर्माण तकनीक के बारे में समझ एवं जागरूकता पैदा करना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में इन्हें अंगीकार करना।
- प्रत्येक व्यक्ति को भूकम्परोधी तकनीक स्वीकार करने हेतु प्रेरित करना एवं आपदा जोखिम को न्यूनीकृत करने का प्रयास करना।

